संख्या-14/2023/I/294121/2023/001-71-4099-578-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023**

विषय:-उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के वाह्य विद्युतीकरण, सब-स्टेशन कार्य हेतु अनुदान संख्या-031 के अन्तर्गत रु० 105.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3996/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/एफएन्डए/2022-23, दिनांक-21-03-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , सैफई , इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के वाह्य विद्युतीकरण, सब-स्टेशन कार्य हेतु अनुदान संख्या-031 के अन्तर्गत परियोजना की बकाया 05 प्रतिशत अर्थात रू० 105.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-031 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-08-रूरल इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एन्ड रिसर्च, सैफई में पैरा मेडिकल इंस्टिट्यूट की स्थापना-00-24-वृहत् निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 600.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना की बकाया 05 प्रतिशत अर्थात **रू० 105.55 लाख (रूपए एक करोड़ पांच लाख पचपन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक-07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. शासनादेश संख्या-520/71-2-2013-एस-7/2012 दिनांक-03.05.2013 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,05,55,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050800 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-14/2023/I/294121/2023/001-71-4099-578-2021, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6- प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
7- ईकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सैफई,इटावा।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यखय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10-नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।